



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी नीटू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 02 माह के कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त नीटू पुत्र चन्द्र निवासी ग्राम निरपुड़ा थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 224/2021 धारा 377 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.08.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नीटू को 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष 02 माह के कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त नीटू को धारा 377 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों सुभाष व फिरोज को हुई 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुभाष पुत्र पन्ना व फिरोज पुत्र बाबू निवासीगण मौहल्ला कुरैशियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 250/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.08.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों सुभाष व फिरोज को हुई 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में हत्या का प्रयास करने के आरोपी सुभाष को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष के कठोर कारावास व 35000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2004 में अभियुक्त सुभाष पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा हत्या का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 133/2004 धारा 307/308/324/325 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.08.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सुभाष को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष के कठोर कारावास व 35000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुभाष को धारा 308/325 भादवि में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 23.08.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

मूलचन्द उर्फ मूलराज पुत्र बलेराम निवसी मुबारिकपुर थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-का0 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक- 23.08.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/24 धारा 305(A)BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 सिलाई मशीन व 02 सिलाई मशीन के पायदान बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.08.24 को थाना चांदीनगर पर वादी सुनील पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम लहचौडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के मकान की छत पर रखी 01 सिलाई मशीन व 02 सिलाई मशीन के पायदान चोरी कर लिए गए हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0163/2024 धारा 305(A) BNS पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/24 धारा 305(A)BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 बाल अपचारियों के

विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 सिलाई मशीन व 02 सिलाई मशीन के पायदान बरामद हुए हैं।

नोट- उक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/331(4) BNS की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित कुमार पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लहचौडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 01 सिलाई मशीन व 02 सिलाई मशीन के पायदान।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-



- 1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-म0उ0नि0/यूटी शीतल थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3-है0का0 215 धीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4-है0का0 676 अरविन्द थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 5-का0 193 अंकुर भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 6-का0 833 राहुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 23.08.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने मु0अ0सं0 155/2024 धारा 103(2)/3(5)बीएनएस में वांछित/फरार चल रहे अभियुक्तों 1-दीपक उर्फ फुर्तीला, 2-हर्ष जोगी पुत्र इश्वर उर्फ मिडुल व 3.गौतम पुत्र धर्मवीर के विरुद्ध 84 BNSS नोटिस की उदघोषणा की गयी।

कार्यवाही-

आज दिनांक 23.08.2024 को थाना चांदीनगरपुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 155/2024 धारा 103(2)/3(5)बीएनएस में वांछित/फरार चल रहे अभियुक्तों 1-दीपक उर्फ फुर्तीला पुत्र राजेन्द्र निवासी कस्बा बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत, 2-हर्ष जोगी पुत्र इश्वर उर्फ मिडुल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघवाली अहीर जनपद बागपत व 3-गौतम पुत्र धर्मवीर निवास ग्राम खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत के स्थायी निवासों पर श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय से प्राप्त 84 BNSS नोटिस आदेशिकाओं की उदघोषणा नियमानुसार करायी गयी।



नोट- दिनांक 02.08.2024 की रात्रि में उक्त अभियुक्तों द्वारा सामान्य आशय से मृतक कविन्द्र उर्फ बिट्टू व उसके साले कुलदीप की थाना चांदीनगर क्षेत्रान्तर्गत गोली मारकर हत्या कारित की गयी थी। घटना के बाद से ही अभियुक्त लगातार फरार चल रहे हैम।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उर्फ फुर्तीला का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0148/19 धारा 3/5/12/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं00 70/06 धारा 380/436 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत बागपत।
- 3-मु0अ0सं082/06 धारा 380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 83/06 धारा 307 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं089/06 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0सं0 84/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0160/07 धारा 379/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 8-मु0अ0सं0 168/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 9-मु0अ0सं0 132/07 धारा 109 सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 10-मु0अ0सं0 233/07 धारा 3/4 यू0पी गुण्डा एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 11-मु0अ0सं0 36/12 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 12-मु0अ0सं0 214/16 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 13-मु0अ0सं0161/17 धारा 60 आब0 अधि0 थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 14-मु0अ0सं0 218/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 15-मु0अ0सं0 106/20 धारा 25/29 आर्म्स एक्टव 468/471/120बी क्राईम ब्रान्च दिल्ली।
- 16- मु0अ0सं0 216/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट व 419/468/471 भादवि क्राईम ब्रान्च दिल्ली।

गिरफ्तार अभियुक्त गौतम पुत्र धर्मवीर का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 254/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 23.08.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

हरेन्द्र पुत्र सहन्सरपाल निवासी ग्राम औंगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री फूल सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-का0 917 दयाशंकर थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-पीआरडी 002 कमल सिंह मय थाना बालैनी जनपद बागपत ।